

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1231

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

ऑनलाइन ऋण ऐप्स

1231. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में ऑनलाइन ऋण ऐप्स की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ऐसे ऋण ऐप्स द्वारा लगाए गए उच्च ब्याज दर की निगरानी कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने उच्च ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): सरकार देश में डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को मॉनीटर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित विनियामकों/हितधारकों के साथ लगातार कार्य कर रही है। आरबीआई ने 8 मई, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2025 जारी किए हैं। इन निर्देशों में वसूली, डेटा गोपनीयता और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं जो विनियमित संस्थाओं (आरई), उनके द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं। आरबीआई ने विनियामक मानकों को स्थापित करने और लागू करने, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने, बाजार अखंडता सुनिश्चित करने, विवादों को सुलझाने और अपने सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 30.05.2024 को “फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठन(ओं) के लिए रूपरेखा” (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) जारी की है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स सहित सूचनाओं को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया है।

इसके अलावा, सरकार और आरबीआई समय-समय पर नागरिकों को ऑनलाइन लोन ऐप्स के शोषण से बचाने के लिए कई कदम उठाते रहे हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) बैंक सार्वजनिक मंच 'सचेत' पोर्टल और अंतर-विनियामक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के माध्यम से नागरिकों को अवैध रूप से धन जमा करने/संग्रह करने से संबंधित किसी भी विशिष्ट इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

- (ii) अनधिकृत ऋण ऐप्स के संचालन की समीक्षा करने के लिए प्रमुख इंटरनेट मध्यस्थों और मैसेजिंग प्लेटफार्मों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।
- (iii) गृह मंत्रालय (एमएचए) का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4ग) डिजिटल ऋण ऐप्स का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है। नागरिकों को अवैध ऋण ऐप्स सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" भी शुरू किया है।
- (iv) आरबीआई और बैंक छोटे एसएमएस, रेडियो अभियान और प्रचार के ज़रिए 'साइबर अपराध' की रोकथाम के बारे में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम भी चला रहा है, जो धोखाधड़ी और जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता पर केंद्रित है।
